आवश्यक कार्यवाई हेतु।
16-5-18

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/बी)/2018 दिनांकः मई, 09 ,2018

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय न.4,
डीरेका परिसर,
जनपद–वाराणसी

विषयः– **केन्द्रीय विद्यालय न.4, डीरेका परिसर, जनपद–वाराणसी** भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर अग्निशमन प्रमाण पत्र के संबंध में।

सन्दर्भः आपका पत्र संख्याः फा.43112/2018–19/के.वी.नं. 4 वारा/11 दिनांकः 12.04.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुसार **केन्द्रीय विद्यालय न.4, डीरेका परिसर, जनपद वाराणसी** का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर द्वारा किया गया जिनकी उपलब्ध आख्या दिनांकः 08.05.2018 का परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः

A.भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः–भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रुप में उपयोग किया जायेगा। विद्यालय भवन ग्रुप बी–1 के श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

1–उक्त विद्यालय भवन भूतल का निर्मित है।

2–पहुँच मार्गः–उक्त स्थल तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक पहुँचकर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।

3–प्रवेश द्वार की चौड़ाई–उक्त भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई **4.00** मीटर है।

B.अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–स्कूल भवन में निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं उपलब्ध पायी गयीः–

1–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायरएक्सटिंग्यूशर)ः–उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर) 10 अदद संतोषजनक स्थिति में उपलब्ध है जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क चालान संख्या–वी190003 के द्वारा दिनांकः 08.05.2018 को रूपया–100/–राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

C.माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 483/2009 में पारित आदेश दिनांकः 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रुप से निर्देशित है किः–

1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरुप है।
2. समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।
3. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीलें पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
4. समय–समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारी एवं अभियंता इस संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानको के अनुरुप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही प्रदान करेगें। नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते है तो इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

D.उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।
2. शिक्षा (6) अनुभाग के शासनादेश संख्याः1528/9–6–2008 दिनांकः 20 जुलाई, 2009 का पालन अनिवार्य होगा।

—2 पर

सत्यापित